



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 228]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 1, 2019/चैत्र 11, 1941

No. 228]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 1, 2019/ CHAITRA 11, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2019

सा. का. नि. 275(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में आगे और संशोधन हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निगमन) तीसरा संशोधन नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- कंपनी (निगमन) नियम, 2014 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में,
i) नियम 38 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

38क वस्तु एवं सेवाकर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

नियम 38 के अधीन किसी कंपनी के निगमन के लिए आवेदन निम्नलिखित संख्याओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन ई-प्ररूप एजीआईएलई (आईएनसी-35) के साथ होगा, अर्थात्:

- 31 मार्च, 2019 से प्रभावी जीएसटीआईएन
- 08 अप्रैल, 2019 से प्रभावी ईपीएफओ
- 15 अप्रैल, 2019 से प्रभावी ईएसआईसी

ii) उक्त नियमों में, प्ररूप आईएनसी-34 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

<p>प्ररूप संख्या आईएनसी-35</p> <p>[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 38क के अनुसार में]।</p>		<p>एजीआईएलई</p> <p>(वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या, कर्मचारी राज्य बीमा निगम रजिस्ट्रीकरण और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन)</p>
---	--	--

(यह एजीआईएलई प्ररूप जीएसटीआईएन/ईपीएफओ/ईएसआईसी के लिए स्पाइस ई-प्ररूप का भाग है)

1. *क्या आप जीएसटीआईएन/ईपीएफओ/ईएसआईसी जैसी अतिरिक्त सेवाओं के लिए आवेदन करना चाहते हैं ?

○हां ○नहीं

2. *जिस सेवा लिए आवेदन करना चाहते हैं उसका चयन करें: ○जीएसटीआईएन ○ईपीएफओ ○ईएसआईसी

3. *राज्य (स्पाइस में प्रविष्टि किए गए अनुसार)

4. *जिला (स्पाइस में प्रविष्टि किए गए अनुसार)

5. *राज्य क्षेत्राधिकार

*सेक्टर/सर्किल/वार्ड/चार्ज/इकाई

6. *केंद्र क्षेत्राधिकार

आयुक्तालय

प्रभाग

रैंज

7. *रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के कारण (स्वैच्छिक)

8. *क्या संस्थान पट्टे पर है ○ हां ○ नहीं

*पट्टे की अवधि से तक

(क) *परिसर के अधिग्रहण का स्वरूप

(ख) *व्यवसाय के मूल स्थान का प्रमाण

(ग) *क्या संस्थान का भवन/परिसर निजी है या किराए पर है

*यदि किराए पर है या इकाई/स्वामित्व के नाम में बदलाव है,

कृपया दर्शाएं

*पट्टे की अवधि से तक

9. *संयोजन हेतु विकल्प 0 हां 0 नहीं

(क) संयोजन की घोषणा

- मैं घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त व्यवसाय संयोजन कराधार के तहत आयकर देने के लिए इस अधिनियम या नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों और बाध्यताओं का पालन करेगा।

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की श्रेणी

- गैर अधिसूचित वस्तुओं का निर्माता
- खाद्य और गैर-मादक पेय वितरक
- कोई अन्य पात्र वितरक

10. *उपर्युक्त परिसर में की जाने वाली व्यवसायिक गतिविधियों का स्वरूप (कृपया जो लागू है, उस पर निशान लगाएं)

फैक्टरी/विनिर्माण	0	थोक व्यापार	0	खुदरा व्यापार	0
गोदाम/डिपो	0	अनुबंधित गोदाम	0	सेवाओं के वितरक	0
कार्यालय/बिक्री कार्यालय	0	पट्टा व्यवसाय	0	वस्तुओं या सेवाओं का प्राप्तकर्ता	0
ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी	0	कार्य अनुबंध	0	निर्यात	0
आयात	0	अन्य (उल्लेख करें), यदि अन्य है तो उसका उल्लेख करें	0		0

(क) *प्राथमिक व्यवसाय कार्यकलाप

*यदि अन्य का चयन किया गया है, तो कृपया इसका उल्लेख करें

(ख) *कार्य/व्यवसाय की वास्तविक प्रकृति

*कार्य उप-श्रेणी

*व्यवसाय कार्य की प्रकृति

11. *व्यवसाय द्वारा वितरित की जाने वाली वस्तुओं का विवरण

एचएसएन कोड (चार अंक) (पूर्व पूरित)

वस्तुओं के ब्यौरे

12. *व्यवसाय द्वारा वितरित की जाने वाली सेवाओं के ब्यौरे

सेवा लेखांकन कोड (पूर्व पूरित)

सेवाओं का विवरण

13. **निदेशकों/प्राथमिक स्वामियों/पदधारी के ब्यौरे**

(ओपीसी के लिए प्रविष्ट किए जाने वाले निदेशकों की न्यूनतम संख्या 1, प्राइवेट कंपनी के मामले में 2, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मामले में 3 और उत्पादक कंपनी के मामले में 5 होगी।)

निदेशकों की संख्या का विवरण प्रविष्ट किया जाना है

2

(क) *उस निदेशक का विवरण जो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/प्राथमिक स्वामी/पदधारी भी है


*0निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)

0स्थायी खाता संख्या (पैन)

*डीआईएन (पूर्व पूरित)

(फोटोग्राफ)

*पैन



(फोटोग्राफ लगाएं) (फोटोग्राफ हटाएं)

(उपरोक्त बॉक्स पर क्लिक करके नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ लगाएं)

*पहला नाम

मध्य नाम

*अंतिम नाम

*निजी मोबाइल संख्या +91..... (ओटीपी भेजें)

*निजी ई-मेल पता

*मोबाइल संख्या के लिए ओटीपी लिखें (ओटीपी सत्यापित करें)

*ई-मेल पता के लिए ओटीपी लिखें

(ख) *प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/मूल स्वामी/पदधारी के अलावा निदेशक का विवरण

*0 निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) 0 स्थायी खाता संख्या (पैन)/पासपोर्ट संख्या (विदेशी राष्ट्रियता के मामले में)

*डीआईएन (पूर्व पूरित) (फोटोग्राफ)

*पैन/पासपोर्ट संख्या

इस बॉक्स में एक
नवीनतम पासपोर्ट
आकार की फोटोग्राफ
लगाएं

(फोटोग्राफ लगाएं) (फोटोग्राफ हटाएं)
(उपरोक्त बॉक्स पर क्लिक करके नवीनतम
पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ लगाएं)

*पहला नाम

मध्य नाम

*अंतिम नाम

*निजी मोबाइल संख्या +91

*निजी ई-मेल पता

14. *पुलिस थाना

15. *नियोक्ता के ब्यौरे

*उचित कार्यालय शाखा का चयन करें

*जांच कार्यालय का चयन करें

संलग्नक

(संलग्नकों की सूची)

1. *व्यवसाय के मूल स्थान का प्रमाण (संलग्न करें)

2. *प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की नियुक्ति का प्रमाण (संलग्न करें)

(निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज संलग्न किया जा सकता है।

प्राधिकरण पत्र

निदेशक बोर्ड/प्रबंधन समिति द्वारा पारित संकल्प की प्रति और स्वीकृति पत्र)

3. *नमूना हस्ताक्षर (संलग्न करें)

(संलग्नक हटाएं)

जीएसटी घोषणा (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा)

- मैं सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि और घोषणा करता हूँ कि यहां ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ छुपाया नहीं गया है।

ईएसआईसी घोषणा (पदधारी द्वारा)

- मैं यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। मैं क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय, ईएसआई निगम को यथासमय किसी प्रकार के बदलाव होने के साथ-साथ बदलाव के विषय में सूचित भी करूंगा।

ईएसआईसी घोषणा (मूल स्वामी द्वारा)

- मैं सत्यनिष्ठा यह पुष्टि और घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण है और इसमें कुछ छुपाया नहीं गया है।

स्थान:

तारीख:

पदनाम: (निदेशक)

***निदेशक (जिसने स्पाइस प्ररूप पर हस्ताक्षर किए हैं) द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जाएं**

*डीआईएन/पैन (डीएससी बॉक्स)

(एजीआईएलई परिशिष्ट प्ररूप पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/मूल स्वामी/पदधारी अपना स्थायी खाता संख्या उपलब्ध कराएं)

(उपांतरित करें)

(प्ररूप की जांच करें)

(पूर्व संवीक्षा)

(प्रस्तुत करें)

[फा.सं.1/13/2013-सीएल-V, पार्ट-I, खंड-II]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम सा.का.नि. संख्या 250(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा इसमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए:-

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि. 349(अ)	01.05.2015
2.	सा.का.नि. 442(अ)	29.05.2015
3.	सा.का.नि. 99(अ)	22.01.2016
4.	सा.का.नि. 336(अ)	23.03.2016
5.	सा.का.नि. 743(अ)	27.07.2016

6.	सा.का.नि. 936(अ)	01.10.2016
7.	सा.का.नि. 1184(अ)	29.12.2016
8.	सा.का.नि. 70(अ)	25.01.2017
9.	सा.का.नि. 955(अ)	27.07.2017
10.	सा.का.नि. 49(अ)	20.01.2018
11.	सा.का.नि. 284(अ)	23.03.2018
12.	सा.का.नि. 708(अ)	27.07.2018
13.	सा.का.नि. 1219(अ)	18.12.2018
14.	सा.का.नि. 144(अ)	21.02.2019
15.	सा.का.नि. 180(अ)	06.03.2019

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2019

G.S.R. 275(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Incorporation) Rules, 2014, namely: —

1. (1) These rules may be called the Companies (Incorporation) Third Amendment Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of publication in the official gazette.
2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules),
 - i) after rule 38, the following rule shall be inserted, namely.-

“38A. Application for registration of the Goods and Service Tax Identification Number (GSTIN), Employees’ State Insurance Corporation (ESIC) registration and Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) registration

The application for incorporation of a company under rule 38 shall be accompanied by e-form AGILE (INC-35) containing an application for registration of the following numbers, namely:-

- (a) GSTIN with effect from 31st March, 2019
- (b) EPFO with effect from 8th April, 2019
- (c) ESIC with effect from 15th April, 2019

- ii) in the said rules, after Form INC-34, the following form shall be inserted, namely:-

FORM NO. INC-35**AGILE**

[Pursuant to rule 38A of the
Companies (Incorporation) Rules,
2014]

Application for Goods and services tax
Identification number, employees state Insurance
corporation registration plus Employees
provident fund organisation registration)

(This AGILE form is part of SPICe eform for GSTIN/ EPFO / ESIC)

1. * Do you want to apply for additional services like GSTIN / EPFO / ESIC? Yes No

2. * Select the service you want to apply for: GSTIN EPFO ESIC

3. * State (Same as entered in SPICe)

4. * District (Same as entered in SPICe)

5. * State Jurisdiction

* Sector / Circle / Ward /Charge / Unit

6. * Center Jurisdiction

Commissionerate

Division

Range

7. * Reason to Obtain Registration

Vuntary

8. *Whether The Establishment On Lease Yes No

* Leased From Date

To Date

(a). * Nature of possession of premises

(b) * Proof of Principal Place of Business

(c) * Whether the building/premises of Establishment.is owned or hired.

* If hired or there is a change in the name of Unit/ownership, please indicate

* Leased From Date

To Date

9. * Option for Composition Yes No

a) Composition Declaration

I hereby declare that aforesaid business shall abide by the conditions and restrictions specified in the Act or Rules for opting to pay tax under the composition levy.

b) Category of Registered Person

Manufacturer of non-notified goods

Supplier of food and non-alcoholic drinks

Any other eligible supplier

10. * Nature of Business Activity being carried out at above mentioned Premises (Please tick applicable)

Factory / Manufacturing	<input type="checkbox"/>	Wholesale Business	<input type="checkbox"/>	Retail Business	<input type="checkbox"/>
Warehouse/Depot	<input type="checkbox"/>	Bonded Warehouse	<input type="checkbox"/>	Supplier of services	<input type="checkbox"/>
Office/Sale Office	<input type="checkbox"/>	Leasing Business	<input type="checkbox"/>	Recipient of goods or services	<input type="checkbox"/>
EOU/ STP/ EHTP	<input type="checkbox"/>	Works Contract	<input type="checkbox"/>	Export	<input type="checkbox"/>
Import	<input type="checkbox"/>	Others (specify), If others, please specify _____	<input type="checkbox"/>		

(A). * Primary Business Activity

*If Others selected, please specify

(B) * Exact nature of work / business

* Work Sub-category

* Nature of work business

11. *Details of the Goods supplied by the Business

HSN Code (Four digit)

Description of Goods

Prefill

12. *Details of Services supplied by the Business.

Service Accounting Code

Description of Services

Pre-fill

13. Directors / Primary Owners / Office Bearer Details

(Minimum number of directors to be entered for OPC shall be 1, 2 in case of private company, 3 in case of public limited company and 5 in case of Producer Company)

Number of Director details to be entered

2

(A) *Enter Director details who is also an Authorised Signatory / Primary Owner / Office Bearer

* Directors Identification Number (DIN) Permanent Account Number (PAN)

*DIN

*PAN

*First Name

Middle Name

*Last Name

Pre-fill

Photograph

Attach
PhotographRemove
Photograph

Attach a latest passport size photograph by clicking the above box

*Personal Mobile Number

+91

Send OTP

*Personal Email Id

*Enter OTP for Mobile Number

Verify OTP

*Enter OTP for Email Id

(B) *Director Details other than Authorised Signatory / Primary Owner / Office Bearer

* Directors Identification Number Permanent Account Number / Passport Number (in case of foreign national

*DIN

*PAN / Passport Number

*First Name

Middle Name

*Last Name

*Personal Mobile Number

*Personal Email ID

Pre-fill

Photograph

Attach
PhotographRemove
Photograph

Attach a latest passport size photograph by clicking the

14. * Police Station

15. * Employer's Particulars

* Select Appropriate Branch Office

* Select Inspection Office

List of Attachments**Attachments**

1. *Proof of Principal place of business

Attach

2. *Proof of appointment of Authorized Signatory

Attach

(Either of the following document can be attached.*Letter of Authorisation**Copy of Resolution passed by BoD / Managing Committee and Acceptance letter)*

3. * Specimen Signature

Attach

Remove attachment

GST Declaration (By Authorized Signatory)

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

ESIC Declaration (By Office Bearer)

I hereby declare that the statement given above is correct to the best of my knowledge and belief. I also undertake to intimate changes if any, promptly to the Regional Office/Sub Regional Office, ESI Corporation as soon as such change takes place.

EPFO Declaration (By Primary Owner)

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom

Place

Date

Designation

***To be digitally signed by director (who has signed the SPICe form)**

* DIN/PAN

DSC BOX

(Authorized signatory / Primary Owner / Office Bearer signing the AGILE form shall provide his Permanent Account Number)

Modify

Check Form

Prescrutiny

Submit

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 250(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* the following notifications:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 349 (E)	01-05-2015
2.	G.S.R. 442 (E)	29-05-2015
3.	G.S.R. 99 (E)	22-01-2016
4.	G.S.R. 336(E)	23-03-2016
5.	G.S.R. 743(E)	27-07-2016
6.	G.S.R. 936(E)	01-10-2016
7.	G.S.R. 1184 (E)	29-12-2016
8.	G.S.R. 70 (E)	25-01-2017
9.	G.S.R. 955 (E)	27-07-2017
10.	G.S.R. 49 (E)	20-01-2018
11.	G.S.R. 284 (E)	23-03-2018
12.	G.S.R. 708 (E)	27-07-2018
13.	G.S.R. 1219 (E)	18-12-2018
14.	G.S.R. 144 (E)	21-02-2019
15.	G.S.R. 180 (E)	06-03-2019